संख्या-65/2023/001-639-22-4-2023-1755559

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2023**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय (जिला कारागार, बरेली) में 04 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25902/नम-2/केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय (इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प)/2021, दिनांक 14.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय (जिला कारागार, बरेली) में 04 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना पूर्ण किये जाने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि रुपये 02.00 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपये 01.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्रीय कारागार बरेली द्वितीय	04 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम	02.00	01.00
			योगः-	**02.00**	**01.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा आवश्यकता / नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित सबमर्सिबल ट्यूबवेल में उपकरणों की खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाँक 23.08.2017, दिनाँक 25.08.2017 तथा दिनाँक 29.08.2017 जिसमें जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, के अनुसार क्रय किया जाएगा ।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001100 कारागार विभाग के भवनों / परिसर में लघु निमार्ण कार्य **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2023/001-639-22-4-2023-1755559, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) परियोजना प्रबन्धक यूनिट-49, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), ई-6, प्रियजदर्शनी नगर, निकट बी0डी0ए0 ऑफिस, बरेली ।

(4) जिलाधिकारी, बरेली ।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय (जिला कारागार, बरेली)।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।